



-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवचेन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा- डिगरना, पटवार हल्का- डिगरना, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आ०कालू तहसील जैतारण के खसरा नम्बर 932/1 रकबा 00-05 बीघा किस्म बारानी प्रथम में अप्रार्थीगण स्वयं अथवा अपने नौकर चाकर हाली एजेण्ट आदि प्रार्थी के कब्जेकाश्त में दखलदांजी, अड़चन नहीं करें, पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।


सहायक इन्सपेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-ब्यावर)

निर्णय आज दिनांक 17/12/2024 को सर-ए-इजलास में सुनाया गया।


सहायक इन्सपेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-ब्यावर)

